

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-

मुन्नीराम बागड़िया  
(आर0ए0एस0)

अपील संख्या- 26/2017

मदनलाल पुत्र फुलाराम जाति मीणा निवासी मीणा की ढाणी तन गोविन्दपुरा तहसील खेतड़ी  
जिला झुझुनूं

-अपीलान्ट

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुझुनूं

-रेस्पोंडेन्ट्स

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ  
निर्णय दिनांक 23.08.2016 बअदालत तहसीलदार खेतड़ी मुकदमा उनवानी सरकार  
बनाम मदनलाल मु0न0 44/2016(44/2016 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:-

1. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट----- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ----- राज0सरकार की ओर से।

-निर्णय - दिनांक:- 15.09.2017

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 23.8.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मदनलाल मु.न. 44/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमीन हाल ख0न0 2779 रकबा 2.46 है0 किसम गै0मु0 रड़ा सरहद राजस्व ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का त्योंदां तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन पर अपीलान्ट द्वारा तथाकथित रूप से  $14 \times 28 = 392$  वर्ग मीटर पर तथाकथित रूप से पुख्ता मकान बनाने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमण शुदा जमीन से बेदखल किये जाने एवं 50 रूपये तावान कायम किये जाने का दिनांक 23.08.2016 को निर्णय

रु

पारित किये जाने का आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अलीप पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस दिनांक 23.08.2016 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली होने से खारिज योग्य है। यह कि मौजूदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलान्त का जमीन हाल ख0न0 2779/1909 किस्म गै0मु0 रड़ा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का के गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्त ने जहां मकान बना रखा है वह मकान अपीलान्त के पूर्वजो के समय से है तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है। जहां अपीलान्त के मकान पहले से बने हुए है, वह जमीन गै0मु0 रड़ा न होकर आबादी भूमि है। अपीलान्त अनुसुचित जाति का व्यक्ति है एवं अपीलान्त के रिहायश हेतु अन्य कोई जगह नहीं है। अपीलान्त के चारो ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है। जहां विधुत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये है। इस प्रकार अपीलान्त गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलान्त के चारो ओर ग्राम मीणा की ढाणी तन त्योंदां के व्यक्ति पीढी दर पीढी रिहायश करते है तथा उक्त गाव में एक समाज कल्याण का भवन है एक सरकारी पानी की टंकी है तथा राजकीय प्राथमिक सरकारी विद्यालय है। इस प्रकार मौके पर विवादित जमीन की किस्म गै0मु0 रड़ा नहीं बल्कि आबादी है। यह कि कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज व्यक्ति को समरी प्रोसेडिंग के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति सदभाविक रूप से काबिज है उसको सिर्फ रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने मौजूदा प्रकरण मे प्रार्थी को अतिक्रमी मानने का आधार दर्ज नहीं किया। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया। पटवारी हल्का ने खनन माफियों से मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार की है। अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जबाबदेही को गलत रूप से नजर अंदाज किया है।

1

अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 को खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि अपीलान्त अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं जहां पहले से अपीलान्त ने मकान बना रखे हैं उसके अलावा अपीलान्त के रिहायश हेतु अन्य कोई जगह नहीं है। अपीलान्त के चारों ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी रिहायश करते आ रहे हैं। जहां विधुत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये हैं। इस प्रकार अपीलान्त गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 23.08.2016 काबिले निरस्त होने योग्य है।


दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का एवं मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 23.08.2016 को अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका


2016

कब्जा वैध साबित हो। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 सरकार बनाम मदनलाल मु.नं.44/16 को यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
(एम0आर0 बागड़िया)  
अति0 जिला कलक्टर  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(एम0आर0 बागड़िया)  
अति0 जिला कलक्टर  
झुंझुनू